मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा अ...
जिला शिक्षा

प्रकरण संख्या 33/2020
मोहनलाल बनाम सरकार

12.7.24 पत्रावली पेश। अधिवक्ता उप०। पत्रावली
कार्यवाही तनकीयात हेतु दिनांक 29/7/24 को
पेश हो। [signature]

23.7.2024 पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी के अवकाश / अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से / अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आगामी पेशी दिनांक 23.8.2024 को पेश हो। [signature]

23/8/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप०। पत्रावली का अवलोकन कर अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि वादी आवंटित भूमि जो कि गैर खातेदार अंकित है से खातेदारी घोषणा करवाना चाहता है। ~~अतः~~ जबकि नियमानुसार —
आवंटित भूमि पर खातेदारी हेतु वादी द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 RTA के तहत है जो विधि अनुकूल नहीं है। क्यों कि आवंटित भूमि पर हक घोषणा अधिकार प्रदान करने हेतु आवंटन नियमों के अन्तर्गत आवंटन अधिकारी सक्षम होता है। आवंटन नियमों के अन्तर्गत आवंटी जिसके पक्ष में भूमि का आवंटन किया गया हो वह आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिये आवंटन अधिकारी आवंटन नियमों के अन्तर्गत आवंटी द्वारा आवंटन की समस्त शर्तों की पालना की जांच करते हुये यदि आवंटी द्वारा आवंटन की समस्त शर्तों की पालना कर दी गयी हो तो उसे आवंटन नियमों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाते है।

उपरोक्तानुसार आवंटी द्वारा आवंटित भूमि के सम्बन्ध मे हक घोषणा का वाद चलने योग्य नहीं होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय लिखा जाकर सुनाया गया। [signature] 23/8/24